



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269493
CG-DL-E-21012026-269493

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड3—उप-खण्ड(i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकारसे प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947

No. 48]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 48(अ).—रूप नियम केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का और संशोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिसूचना संख्या सा.का.नि.723 (अ), तारीख 29 सितंबर, 2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-धारा (i) द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जब उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 30 सितंबर, 2025 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और, उक्त प्रारूप मसौदा नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 के खंड (ढ), धारा 64, धारा 137 के खंड (घ), धारा 210ग के खंड (ग), धारा 211क की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख), धारा 215ग की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21 के उप-नियम (1) में, खंड (24) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(25) 1 जनवरी, 2026 को और इसके आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि में इस अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अधीन का पांच या अधिक अपराध या उल्लंघन करना:

परंतु किसी पश्चात्तवर्ती एक वर्ष की किसी भी अवधि में अपराधों या उल्लंघन के अवधारण के लिए पिछले एक वर्ष की किसी भी अवधि में दर्ज किसी भी अपराध या उल्लंघन को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।”

3. उक्त नियमों में, नियम 167 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“167. चालान जारी करने और भुगतान की प्रक्रिया:- (1) वर्दीधारी कोई भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में चालान जारी करेगा।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन प्रणाली के माध्यम से या किसी भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा मैन्युअल रूप से चालान स्वतः जनरेट करने की सुविधा प्रदान कर सकती है।

(3) उप-नियम (1) या उपनियम (2) के अधीन जारी किया गया चालान, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दस्ती या किसी अन्य वास्तविक माध्यम से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तीन दिनों की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) या उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए चालानों का विवरण पोर्टल पर कालानुक्रमिक रूप से दर्ज किया जाएगा।

(5) कोई भी व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) या उपधारा (2) के अधीन चालान जारी किया जाता है, वह ऐसे चालान जारी होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर या तो चालान में निर्दिष्ट राशि स्वीकार करेगा और उसका भुगतान करेगा या पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ चालान को ऐसे तरीके से और ऐसे प्राधिकारी, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, के समक्ष चुनौती देगा।

(6) जहां कोई व्यक्ति उप-नियम (5) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष चालान का चुनौती नहीं देता है, तो ऐसे चालान को ऐसे चालान के जारी होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा।

(7) उप-नियम (6) के अधीन स्वीकृत माने जाने वाले चालान में उल्लिखित राशि का भुगतान, उप-नियम (6) के अधीन निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से अगले तीस दिनों के भीतर वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा।

(8) जहां किसी व्यक्ति ने उप-नियम (5) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष चालान चुनौती दी थी और उप-नियम (5) के अधीन निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से अगले तीस दिनों की अवधि के भीतर उस प्राधिकारी द्वारा उसका समाधान नहीं किया गया है या जहां ऐसा प्राधिकारी उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध चालान जारी किया गया है, द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य पर सुनवाई करने के बाद, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से चालान को रद्द कर देता है, ऐसा चालान प्रभावी नहीं रहेगा और पोर्टल पर उस आदेश को अपलोड किया जाएगा।

(9) जहां उप-नियम (5) में निर्दिष्ट प्राधिकारी उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध चालान जारी किया गया है, द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ अस्वीकार कर देता है, तो व्यक्ति या तो चालान प्राप्त होने या ऐसे आदेश के पोर्टल पर अपलोड करने से तीस दिनों की अवधि के भीतर उक्त चालान का भुगतान कर सकेगा या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से चालान में निर्दिष्ट राशि का पचास प्रतिशत जमा करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर कर सकेगा।

(10) यदि उप-नियम (9) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति ने आदेश की प्राप्ति या पोर्टल पर अपलोड करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर न तो उक्त चालान का भुगतान किया है और न ही न्यायालय के समक्ष चालान को चुनौती दी है, तो

चालान को स्वीकार किया गया माना जाएगा और चालान में उल्लिखित राशि का भुगतान ऊपर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से अगले पंद्रह दिनों के भीतर वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा।

(11) उप नियम (7) और उपनियम (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा

(12) यदि उस व्यक्ति, जिसे उप नियम (7) और उप-नियम (10) के अधीन चालान जारी किया जाता है, द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसे मामलों में, ऐसे चालानों के निपटान तक, यथा स्थिति उल्लंघनकर्ता के लाइसेंस या मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आवेदन, चालान में उल्लिखित, मोटर वाहन के कर (करों) से संबंधित आवेदनों के सिवाय, लाइसेंस प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा संसाधित नहीं किए जाएंगे और ऐसे यान को पोर्टल पर 'संव्यवहार न किया जाए' के रूप में चिह्नित किया जाएगा, जो पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान सहित ऐसे चालान के भुगतान होने तक स्वचालित रूप से यथा स्थिति रजिस्ट्रीकृत स्वामी या लाइसेंस धारक, को एक सूचना भी भेजेगा।

(13) इस नियम के अधीन जारी किए गए चालानों के संबंध में, न्यायालय के आदेश के अधीन, कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में अन्तर्वलित किसी यान को निरुद्ध कर सकेगा।"

4. उक्त नियम के नियम 167क में, -

(क) उप नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(7) नियम 167 के उप-नियम (1) और उप नियम (2) के अधीन चालान, या तो दस्ती या किसी अन्य वास्तविक साधन द्वारा पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा तीन दिनों की अवधि के भीतर, यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नाम पर जारी किए जाएंगे और इसके साथ एसएमएस या ई-मेल या वास्तविक रूप में अपराध की सूचना भी होगी:

परंतु ऐसे मामलों में, जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या जहां डिवाइस कनेक्शन स्थापित करने में असमर्थ है, प्राधिकृत अधिकारी ऑफ़लाइन रिपोर्ट में चालान का विवरण ऐसे रूप और तरीके से रिकॉर्ड कर सकेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो और उक्त डेटा जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।";

(ख) उप-नियम (8) के खंड (क) में, "उप-नियम (5), उपनियम (6) और उप नियम (7)" शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्थान पर, "उप-नियम (5) से उप नियम (11)" शब्द, कोष्ठक और संख्याएं रखी जाएंगी;

(ग) उप-नियम (9) में, "पंद्रह दिनों के भीतर" शब्दों से पहले, "इलेक्ट्रॉनिक रूप में और दस्ती या किसी अन्य वास्तविक रूप में तीन दिनों की अवधि के भीतर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) उप-नियम (10) में, "पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष" शब्दों के स्थान पर, "नियम 167 के उप-नियम (5) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष पोर्टल पर सहित" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. RT-25035/66/2025-RS (258052)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 28 (अ) तारीख 13.01.2026 द्वारा अंतिमवार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2026

G.S.R.48(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R 723(E), dated the 29th September, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification was made available to the public on 30th September, 2025;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (n) of section 27, section 64, clause (d) of section 137, clause (c) of section 210C, clause (a) and clause (b) of sub-section (2) of section 211A, clause (b) of sub-section (2) of section 215C of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 21, in sub-rule (1), after the clause (24), following clause shall be inserted, namely: -

“(25) Commission of five or more offences or contraventions of the provisions of the Act or these rules, in a period of one year commencing on and from the 1st January, 2026:

Provided that no offence or contravention recorded in any previous one year period shall be taken into account for determining offences or contravention in any subsequent one year period.”.

3. In the said rules, for rule 167, the following rule shall be substituted, namely: -

“167. Procedure for issuance and payment of challan: —(1) Any police officer in uniform or any other officer, authorised by the State Government in this behalf shall issue a challan, through system either in physical or electronic form, to a person acting in violation of the provisions of the Act, or rules made thereunder.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in case any person who violates the provisions of the Act or rules made thereunder, the State Government can enable auto-generation of challan through electronic monitoring and enforcement system or manually by any police officer or any officer authorised by the State Government.

- (3) The challan issued under sub-rules (1) or (2), shall be delivered to a person who violates the provisions of the Act, or rules made thereunder, either by hand or any other physical means within a period of fifteen days, or by electronic means of communication authorised by the Central Government or State Government, within a period of three days.
- (4) Details of challans issued under sub-rules (1) or (2), shall be recorded chronologically on the portal.
- (5) Any person to whom a challan is issued under sub-rules (1) or (2), shall, within a period of forty-five days from the date of such issuance, either accept and pay the amount specified in the challan or contest the challan on the portal along with documentary evidence in such manner and before such authority for redressal, as may be specified by the State Government.
- (6) Where a person does not contest the challan before the authority referred to in sub-rule (5), such challan shall be deemed to have been accepted by such person on the expiry of a period of forty-five days from the date of issuance of such challan.
- (7) The challan deemed to have been accepted under sub-rule (6), shall be paid, in physical or electronic form, within the next thirty days from the expiry of the period specified under sub-rule (6).
- (8) Where a person contested challan before the authority referred in sub-rule (5), and is not resolved by that authority within a period of the next thirty days from the expiry of the period specified under sub-rule(5) or where such authority after hearing the submission and documentary evidences made by the person against whom the challan has been issued quashes the challan for reasons to be recorded in writing, such challan shall cease to have effect and upload order on the portal.
- (9) Where the authority referred in sub-rule (5) rejects submissions made by the person against whom the challan has been issued, with reasons to be recorded in writing, the person may either pay the said challan within a period of thirty days from the receipt or uploading of such order on the portal, or may file an application before a court after depositing fifty per cent. of the amount specified in the challan in the manner as may be specified by the State Government.
- (10) If the person referred under sub-rule (9), has neither paid the said challan nor contested the challan before a court within thirty days from the date of receipt or uploading of the order on the portal, the challan shall be deemed to have been accepted and the amount mentioned in the challan shall be paid either in physical or electronic form, within the next fifteen days from the expiry of the period specified hereinabove.
- (11) A notice shall be sent through electronic means every day from the expiry of the period specified in sub-rule (7) and (10).
- (12) If no action is taken by the person to whom the challan is issued under sub-rule (7) and (10), in such cases, till the disposal of such challans, applications with respect to the license of offender or registration of motor vehicle, as the case may be, mentioned in the challan shall not be processed by the licensing authority or registering authority, as the case may be, except applications relating to any tax issues of motor vehicle, and such vehicle

shall be flagged as ‘Not to be Transacted’ on the portal, which shall also automatically send an intimation to the registered owner or the licence holder, as the case may be, including through electronic means, till the payment of such challan, on the portal.

(13) Subject to orders of the court, in respect of challans issued under this rule, a police officer or any officer authorised by the State Government may detain the vehicle involved in the violation of any provision of this Act or rules made thereunder.”.

4. In the said rules, in rule 167A, –

(a) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(7) Challans, under sub-rules (1) and (2) of rule 167, shall be issued in the name of the registered owner of the vehicle, either by hand or any other physical means within a period of fifteen days or by electronic means of communication as authorised by the Central Government or State Government within a period of three days and must be accompanied with a notice of offence in electronic form such as SMS or e-mail or in physical form:

Provided that in cases where network connectivity is unavailable or where the device is unable to establish connection, the authorised officer may record the details of the challan in an offline report in such form and manner as may be specified by the State Government, and the said data shall be uploaded to the portal at the earliest possible opportunity.”;

(b) in sub-rule (8), in clause (a), for the words, brackets and numbers “sub-rules (5), (6) and (7)”, the words, brackets and numbers “sub-rules (5) to (11)” shall be substituted;

(c) in sub-rule (9), before the words “within fifteen days”, the words “within a period of three days in electronic form and in by hand or any other physical form” shall be inserted;

(d) in sub-rule (10), for the words “before the police officer or any officer authorised by the State Government”, the words “including on the portal, before the specified authority under sub-rule (5) of rule 167” shall be substituted.

[F. No. RT-25035/66/2025-RS (258052)]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was lastly amended *vide* notification number G.S.R. 28(E) dated the 13.01.2026.